प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
2 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4 प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉकः 13 मार्च,2018

विषय- ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से निविदाएँ आमंत्रित कर सफल निविदादाता को क्रयादेश निर्गत करने के उपरान्त क्रयादेश/कार्यादेश (Award of Contract) की प्रतिलिपि ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड किए जाने तथा निविदा-प्रपत्र में चेक लिस्ट सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसाकि आप अवगत हैं, उत्तर प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में एन.आई.सी. के ई-प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्मका प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/ जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय तथा चालू दर एवँ दर अनुबन्ध (रेट कॉन्ट्रैक्ट) हेतु ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली को बाध्यकारी कर दिया गया है।

2- ई-टेण्डर पोर्टल के विश्लेषण में प्रायः यह देखा जा रहा है कि टेण्डर आमंत्रित करने वाले संस्थाओं/कार्यालयों द्वारा निविदा प्रक्रिया अन्तिमीकृत करने के उपरान्त सफल निविदादाता को निर्गत क्रयादेश/कार्यादेश (Award of Contract) की प्रतिलिपि ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड नहीं की जा रही है, जिसके कारण निविदा अपूर्ण दिखाई देती है एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।

3- अतः अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों/संस्थाओं को निर्देशित कर दें कि टेण्डर आमंत्रित करने वाले संस्थाओं/कार्यालयों द्वारा निविदा प्रक्रिया अन्तिमीकृत करने के उपरान्त सफल निविदादाता को निर्गत क्रयादेश/कार्यादेश (Award of Contract) की प्रतिलिपि तत्काल सम्बन्धित टेण्डर के सापेक्ष अवश्य अपलोड कर दी जाये, जिससे उस टेण्डर से सम्बन्धित समस्त विवरण ई-टेण्डर पर उपलब्ध रहें तथा टेण्डर्स में प्राप्त दरों, कराये जाने वाले कार्यों, समय-अवधि इत्यादि विवरण को देखा जा सके।

4- इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया है कि शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि द्वारा ई-टेण्डरिंग पोर्टल पर प्रकाशित निविदाओं में प्रायः अभिलेखों/आवश्यकताओं/मूल्यांकन मानकों से सम्बन्धित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कोई चेक-लिस्ट नहीं रखी जाती है तथा प्राप्त निविदाओं का परीक्षण चेक-लिस्ट के आधार पर न करके सरसरी आधार पर किया जाता है जो यथार्थ निविदादाताओं की निविदायें भी अमान्य कर दिये जाने की सम्भावना और विवादों की सम्भावना उत्पन्न करती है।

5- अतः अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों/संस्थाओं को यह भी निर्देशित कर दें कि प्राप्त निविदाओं को सामान्यतः जिन अनिवार्य अभिलेखों/आवश्यकताओं/बिन्दुओं तथा मूल्यांकन मानकों के आधार पर अमान्य किया जा सकता है, उनसे सम्बन्धित 'चेक-लिस्ट' को टेण्डर आमंत्रित करने वाली क्रय-समितियों द्वारा अपनी ई-निविदाओं में अनिवार्य रूप से समाविष्ट किया जाये। चेक-लिस्ट बनाये जाने के लिए कतिपय टेम्पलेट इस पत्र के साथ अनुलग्नक-1, 2, 3 एवं 4 पर उपलब्ध हैं तथा क्रय-समितियों द्वारा इन टेम्पलेट को दृष्टिगत रख कर 'चेक-लिस्ट' बनाई जा सकती है।

6- कृपया उपरोक्त कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथाउपरोक्त

भवदीय,
संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव

संख्या-5/2018/148/78-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2 प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

आज्ञा से,
संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।